पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 3863 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 19 /06/2015

।। संशोधित आदेश ।।

विश्वविद्यालय आदेश क्र. 3820/अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक 17.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2015 के निर्णयानुसार **महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर** को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	**बी.काम. अनिवार्य विषय**	**कुल–120** (सीट वृद्धि–60, पूर्व सीट–60)	2015–16
2.	**बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन**	**कुल–90** (सीट वृद्धि–30, पूर्व सीट–60)	
3.	**पी.जी.डी.सी.ए.**	**कुल–90** (सीट वृद्धि–30, पूर्व सीट–60)	

शर्तें :–

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. बी.काम. (अनिवार्य एवं कम्प्यूटर एप्लिकेशन) द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु 28 फरवरी, 2016 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
5. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3864 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 19 / 06/2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

पत्र क्रमांक 3756/अका./2015 दिनांक 05-06-2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 06-06-2015 को महात्मा [illegible] कॉलेज, [illegible] कॉलेज का निरीक्षण किया और पाया कि :-

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. वाणिज्य में 1 तथा कंप्यूटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत की जाए।
3. वाणिज्य विषय में 1,00,000/- तथा कंप्यूटर विषय में 20,000/- रुपये की पुस्तकें ग्रंथालय में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय को कंप्यूटर प्रयोगशाला में 20 और कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
5. लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर को Renew (नवीनीकरण) करवाने की आवश्यकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण : डॉ. पी. सी. अग्रवाल, प्राचार्य, [illegible] छ.ग. महावि. [illegible]पुर — (हस्ताक्षर) 6.6.15

बी.कॉम. अनिवार्य विषय 60 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त को पूर्ण करने पर है।

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर – नाम– पता : (हस्ताक्षर) 06-06-2015 (Dr. Sanjay Kumar)

बी.कॉम. कं. एप्लिकेशन 30 सीट वृद्धि
पी.जी.डी.सी.ए. 30 सीट वृद्धि
की पात्रता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने पर है।

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम–पता : ....

....

....

दिनांक ....

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

[illegible] SHUKLA UNIVERSITY